

1/7/56

इसलिए उक्त पक्ष उक्त वदत निका/न्यायिक दृष्टि पर करने
के लिये माध्यामिक/न्यायिक दृष्टि न्यायिक दृष्टि/न्यायिक
न्यायिक दृष्टि निका/न्यायिक दृष्टि के लिये 28/4/56 को
पेक्षा है।

28/4/56

सिविल न्यायाधीश
राजस्थान जिला अजमेर (राज.)